भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3541

(जिसका उत्तर मंगलवार, 27 मार्च, 2018 को दिया गया)

नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के आदेशों को कार्यान्वित करने हेतु भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान को शक्तियां प्रदान करना

3541. श्री नारायण दास गुप्ताः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकरण (एन॰एफ॰आर॰ए॰) के आदेशों को कार्यान्वित करने हेतु भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आई॰सी॰ए॰आई॰) को शक्तियां प्रदान करने का विचार रखती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आई॰सी॰ए॰आई॰ के पास वर्तमान चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एन॰एफ॰आर॰ए॰ द्वारा पारित आदेशों को कार्यान्वित करने की शक्ति है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आई॰सी॰ए॰आई॰ द्वारा आई॰सी॰ए॰आई॰ के सदस्यों तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रतिष्ठानों को प्रैक्टिस से विवर्जित करने हेतु एन॰एफ॰आर॰ए॰ के आदेशों को कार्यान्वित करने संबंधी तंत्र क्या है; और

(घ) क्या यह कार्य आई॰सी॰ए॰आई॰ द्वारा किया जाना अपेक्षित है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क) से (घ): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 के प्रावधानों और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के साथ पठित भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के प्रासंगिक लागू प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) लेखांकन और लेखा परीक्षा नीतियों/मानकों को तैयार करने की अनुशंसा, निगरानी और ऐसे मानकों की अनुपालना का प्रवर्तन करने, लेखा परीक्षा व्यवसाय की सेवा गुणवत्ता का पर्यवेक्षण, अधिनियम के अन्तर्गत व्यवसायिक और अन्य कदाचार के विरुद्ध जांच एवं कार्रवाई का आदेश देने संबंधी कार्य करेगा। अधिनियम की धारा 132 के प्रावधानों में उपयुक्त स्पष्टता और लचीलापन दिया गया है ताकि एनएफआरए और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की भूमिका और शक्तियों में सामंजस्य एवं समन्वय सुनिश्चित किया जा सके।

*****